सेवा में.

प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।

विषय:-

जनपद—नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड किनारे प्लॉट 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द की(किसान सेवा केन्द्र) हेतु 0.025 है0 भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक— 3062 / FP/UK/ Others/ 40044/ 2019:देहरादून:दिनांक 22 जून,2022

महोदय.

उपरोक्त सन्दर्भित विषयगत प्रकरण में लगाई गयी आपत्तियां उपबिन्दुवार निराकरण/आख्या निम्नानुसार पेषित है-


क.सं	EDS	आपत्ति का निराकरण/आख्या		
1	प्रश्नगत लीज 1975 में कृषि सेवा केन्द्र हेतु 30 वर्षों की लीज पर दी गई थी, जो वर्ष 2005 में समाप्त हो चुकी है, जिसका वर्ष 2005-6 में लीज नवीनीकरण किया जाना था, जो कि आतिथि तक नहीं किया गया। क्या यह वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं है। स्थिति स्पष्ट करें।	उक्त बिन्दु मेरे द्वारा वर्ष 2005 से पहले से ही लीज के नवीनीकरण की कार्यवाही की गई थी, किन्तु मुझे मौखिक रूप से बताया गया कि कतिपय प्रक्रिया में बदलाव के कारण नवीनीकरण की प्रक्रिया को स्थिमत किया जा रहा है। उसके बाद भी कई बार प्रक्रिया में बदलाव हुआ और हर बार हमें प्रक्रिया पुनः शुरू करनी पड़ी। वर्तमान में प्रक्रिया ऑन लाईन कर दी गयी, जिसके तहत मैंने पुनः नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है जो कि 2019 से प्रक्रिया में है। भारत सरकार द्वारा बेरोजगार इंन्जीनियरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृषि सेवा केन्द्रों को खुलवाया गया था जिसके तहत सरकार द्वारा यह जमीन लीज में उपलब्ध कराई गई थी। परन्तु इस स्कीम के असफल होने के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार द्वारा सिमिति बनाई गयी जिसने असफलता के कारणों को देखते हुए इन्हें बीमार यूनिट मानते सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपते हुए इन्हें बीमार यूनिट मानते सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपते हुए इन्हें बीमार यूनिट मानते सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपते हुए इन्हें बीमार यूनिट मानते सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपते हुए इन्हें बीमार यूनिट मानते सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपते हुए इन्हें बीमार यूनिट मानते सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपते हुए इन्हें बीमार यूनिट मानते सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपते हुए इन्हें बीमार यूनिट मानते सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपते हुए इन्हें बीमार यूनिट मानते सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपते हुए इन्हें बीमार यूनिट मानते सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपते हुए इन्हें बीमार यूनिट मानते सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपते हुए इन्हें बीमार यूनिट मानते सरकार को अपनी स्था कि स्वरंप हुए इन्हें बीमार यूनिट मानते सरकार को अपनी स्था कि स्वरंप हुए इन्हें बीमार यूनिट मानते सरकार को अपनी स्था स्था स्था कि स्वरंप हुण इन्हें बीमार यूनिट मानते सरकार को अपनी स्था की स्था कि स्था के स्था को स्था कि स्था कि स्था की स्था कि		
2	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्नों के अनुसार उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या—637 / (1)14— 2—578 / 74 वर्ष 1978 के द्वारा कृषि सेगा केन्द्र हेतु लीज पर दी गयी भूमि पर कितपय शर्तों के तहत कृषि सेवा केन्द्र में साथ पेट्रोल पम्प खोलने हेतु अनापित ही गयी है, किन्तु प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि लीज पर दी गयी वन भूमि पर मात्र पेट्रोल पम्प ही संचालित हो रहा है। स्थिति स्पष्ट करें।			


		•
		थी और इस आशय से उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश
		संख्या-6371(1) / 14.2.578 / 74 द्वारा अवगत कराया गया ह
		इसी क्रम लीज धारक कृषि सेवा केन्द्र के स्थान पेट्रोल पम
		हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त पेट्रोल पम्प संचालित कर
		सकते है।
		वर्तमान में अनापत्ति प्रमाण पत्र 10CL में जमा है जिसक
		10CL द्वारा बोनाफाईट व जिलाधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र
		की छायाप्रति संलग्न है।
3	क्या लीज घारक द्वारा लीज स्वीकृति	
	आदेश में अधिरोपित समस्त शर्तों का	प्रपन्न 29 पुनः संलग्न है।
	अनुपालन पूर्ण किया गया है	
4	प्रमागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वानी	उक्त बिन्दु प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से अपेक्षित है।
	प्रपत्र भाग-2 की बिन्दु संख्या-9 प	कर्मा है का एवं कामकार के स्तर से अवश्वत है।
	अधिनियम, का उल्लंधन न होने की सूचना	
	अंकित की गयी है। इस सबंध में स्थिति	
	स्पष्ट करें कि लीज अवधि समाप्त हुये 15	
	वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका	
	है। लीज धारक द्वारा अभी तक पूर्व में	
	कथित प्रयोजन हेतु लीज पर दी गयी वन	
	भूमि का लीज नवीनीकरण नहीं किया गया	
	है तथा वन भूमि पर काबिज है। क्या यह	
	वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंधन नहीं	
	है। स्थति स्पष्ट करें।	
5	ACT OF THE SECOND SECON	उक्त बिन्दु प्रमागीय वनाधिकारी के स्तर से अपेक्षित है।
	आख्या के बिन्दु संख्या-5.5 के उप बिन्द	उसा स्य व असामाय वनाविकास के स्तर से अपावत है।
	(a) व (b) पर सूचना अंकित नहीं की गयी	
	है।	
6	प्रस्ताव के अवलोकन से ब्रिदित होता है 🔠	
	प्रश्नगत लीज आरक्षित वन भूमि में दी गयी।	
	है किन्तु प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 11.1 के	संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न है।
	लैण्ड शैंडयूल जो कि राजस्य विमाग व	रायाच्या अनाम वज संस्था है।
	अन्य से सम्बन्धित है में भूमि प्रभावित होनी	
	दर्शायी गयी है। स्थिति स्पष्ट करें।	
7	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-19 के अनुसार	
•	प्रस्तावित स्थल राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव	
	अम्यारण्य से 0.5 किमी०की दूरी पर स्थिति	संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न है।
	है। इस सम्बन्ध में मुख्य वन्यजीव	संसामा अनाग पत्र सलान है।
	प्रतिपालन की संस्तुति/अनापत्ति	
	प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	
8	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित	
e.	The state of the second of the state of the	संशोधित दस्तावेज संलग्न है।
	समस्त प्रयत्र निर्धारित प्रारूप में (विशेषकर	the addition of the addition o
	जिलाधिकारी से सम्बन्धित) तैयार कर	

	प्रस्ताव में संलग्न करें।	
9	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र—25 में उल्लेख किया गया है कि कृषि सेवा केन्द्र का ले—आउट प्लान/मदवार विवरण संलग्न है का उल्लेख किया गया है जो कि नहीं किया गया है। लीज पर दी गयी वन भूमि पर किये गये निर्माण से सम्बन्धित कार्य का ले—आउट प्लान/मानचित्र मदवार विवरण सहित प्रस्ताव में संलग्न करें।	दस्तावेज संलग्न हैं।
10	एन0पी0वी0का निर्धारण नई दरों के अनुसार आंकलित कर प्रस्ताव में संलग्न करे।	उक्त बिन्दु प्रमागीय वनाधिकारी के स्तर से अपेक्षित है।
11	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-46 में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। स्थिति स्पष्ट करें।	उक्त बिन्दु प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से अपेक्षित है।

For-Agro Services & Filling Centre
Hadluge Proprietor

(हरीश चन्द्र घिल्डियाल) एग्रो सर्विसेज एण्ड फिलिंग सेन्टर रानीखेत रोड, रामनगर, नैनीताल।





Component Wise Description of Agro Services and Filling Center

S.No.	Component	Area Sq.Ft	Description
1	OFFICE	247.25	A room of measurement 11' × 21'6 constructed on the south west area of Plot for the purpose office area and store.
2	TOILET AREA	84.00	Toilet(Male & Female) area measurement 12'0 ×7'0 constructed on the North West area of Plot for the purpose toilet(Male & Female).
3	PUMP AREA	70,00	Pump area measurement 14'0 × 5'0 constructed on the center of the Plot for the purpose pumping oil.
4	PARKING AREA/Open Area	2289.75	Parking Area/Open area constructed on the East area(Front Side of Pump) of the Plot.
	Total	2691.00	

All infrastructure is already developed. There is no need for any kind of New construction.

For-Agro Services & Filling Centre



WHE K 11 /14-2-578/74

ग्रेपर,

श्मात प्रतिकारणे, सार्वेण । उत्तर प्रदेश शासना

तेवा में,

बरण्यान, योगमां कृति, उत्तर प्रदेश, नैनोतात ।

वन बनुगाग - 2

नगनउद्योदनांकः तुन ,1978

पिषयः - सी दरोत रूड पिलेड्याल की पृथि मैवा वेन्द्र कालमार्व रिला नेनाता में यन मूर्ग विचा जना ।

महोद व,

चपर्वमा विभावा वार रे सम संस्था ५ ३७ ८ /५-१-१६ हेलीर

तृत 16,1078 के सन्दर्भ में मूंचे यह कहने का तियेश हुआ है ति यांच को प्रियंत्रकात तिमानवारों , नेतीनात एवं सार्थ खेलक तिमान विद्याल विभाग से " जो कांकी खन मार्थि प्रति " प्राप्त कर नेते हैं जो उन्हें शूचि मैका केन्द्र (कांग्योटपार turni) teploments wo which on) के क्याय मार्थ बान नावेश संक्या 1963/14-2-578/64, दिन्तीक जुनाई 3, 1975 के अन्तर्गत वद्दे पर कांगून मूंच में उपाईक्त उन्होंना के नाथ बेड्रोन प्रमानीत नाने में प्राप्त प्रोप्त मार्थ नाय सेड्रोन प्रमान नाने में प्राप्त प्रोप्त नाने हैं।

च्चब्रोय,

ए का पोग नियान है. संदेश

中四 (1)/14-2-578/74

प्रतितिष्य को रच्छमके फिल्डियान , की -58, पांक्ट अलेचन

नितिष्ठंग , मुगादाबाक को गूधनार्थ प्रेरियत ।

बादा थे,

हैं। स्त्र क बोल दिखाड़ी, सरिवन।





इंडियन ऑयल कॉरपॉरेशन लिमिटेड पंतरत्न क्षिकारत आक्षा : 25. किल्लात वर्श केन्द्र, रहसपूर, सामानान - 248 रहाउ Indian Oil Corporation Limited

Delivedus Divisional Office: 25 Northwellie Garls Certif: Delivedur: Undergenered: 268 001 fer: 0135 21901att dt m-2/20110 1 pr. 3135/2511

Offer Indian Oil Corporation Ltd.,

To Whom so ever it may concern

This is to inform that IOCL allows the dealer to establish the petrol pump only after submission of all required documents including

- 11 NOC from DM
- 2) NOC from PWD

These documents are kept with the PESO(petroleum & explosives Safety Organisation) at their office.

M/s Agra Services and Filling Centre, Ranikhet Road, Ramnagar (Namital) had submitted originals of the above-mentioned documents to the company, which were sent to PESO department, then only the permission of establishing the petrol pump was granted.

Thanking you,

Acres were granter the

ANTA KILLA

प्रशासित लगामत है। क राम्मवर रावधित रेक पर बन का पर वर विका कीर नम्बर क तथा क धेम्बर 1 का अव के व्यक्ति रेक पर बन का पर के कि मह पर तान पर स्वकृत बताया व्यक्ति व्यक्ति रेक व्यक्ति रेक कि न मुन्न के मह पर तान पर स्वकृत बताया व्यक्ति का व्यक्ति रेक का विकास कि कि न मुन्न के मह प्रशास के यह प्रति । वह विकास का प्रमान की के के स्वास का या रावधि मह प्रशास का प्रति है स्वा विकास विकास का का का की के स्वास की से प्रतास वालक का से तथा विकास विकास का का का की के स्वास की से प्रतास का से की स्वास विकास की की साम का स्वास की की से स्वास की की की से की साम की से प्रतास की साम विकास की साम की साम की साम की स्वास की साम की स्वास की साम की साम

With 3-1-79

मध्युनास के ना असह 1 सत्ताक्ष्मालक केन्द्रय

वास्ताय स्तायनाच नेत्राता यत्र वेस्य अपे/5- आवश च क्रीक स्तवच ३,१५१७

सक्तान स्थान राज नवीं का ता वा अस्थान विश्वन क्यां व्याप्त स्थान क्यां व्याप्त क्यां क्या

३-1-79 वित्ती - शिवा ने विवास उन्हें ने स्वास

PIMMIN AND

+ 17/1/3

्परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लाट संख्या 08 . एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घित्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द चित्डियाल को लीज पर दी गयी वन भूमि के नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लाट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को 0.025 हैं0 वन भूमि कृषि सेवा केन्द्र के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश सं0 1963/14-2-78/74 दिनांक 3.7.1975 के द्वारा 30 वर्ष के लिए स्वीकृत की गयी थी। उक्त प्रस्तावित वन भूमि कार्बट टाइगर रिजर्व की सीमा से हवाई दूरी लगभग 300M है, परन्तु उक्त वन भूमि नगरपालिका रामनगर के भीतर रिजर्व की सीमा से हवाई दूरी लगभग 300M है, परन्तु उक्त वन भूमि नगरपालिका रामनगर के भीतर रिश्वत होने एवं आबादी से लगी होने के कारण यहाँ वन्यजीवों का आवागमन नहीं होता है। प्रस्तावित वन भूमि आबादी से लगी होने के कारण अतिक्रमण की दृष्टि से भी संवेदनशील है। प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग विषयांकित प्रयोजन के लिए किये जाने से वन्यजीवों पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की सम्मावना प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त कारणों से लीज नवीनीकरण की संस्तुति की जाती है।

प्रमागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर। मुख वन सरक्षक (वन्य जीव) नुष्य वन्य जीव प्रतिपालक मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, दहरादून।

प्रपत्र-11.1

परियोजना का नाम— जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लाट सं० 8 व 9 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को लीज पर दी गयी वन भूमि का नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

लैन्ड शेड्यूल

सिविल एवं सोयम वन पंचायत एवं नाम भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये(राजस्व विभाग / जिलाधिकारी द्वारा) निर्धारित प्रपत्र।

भूमि की श्रेणी:-

जिला	तहसील	ब्लॉक	खसरा सं0	कुल रकवा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है0)
नैनीताल	रामनगर	रामनगर					

ह0 For-Agro Services & Filling Centre प्रयोक्त एजेन्सी Proprietor ह0/- पूर् जिलाधिकारी नैनीताल

नोट:— उक्त सूचना राजस्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है, जिसे प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है। प्रत्येक श्रेणी की भूमि का अलग—अलग प्रपत्र भरा जाना है।

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम- नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लाट-8 एवं 9 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल के नाम लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र। जिला स्तरीय समिति।

उपखण्ड रागनगर परिक्षेत्र में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल, रामनगर के लीज नवीनीकरण हेतु (0.025 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.025 है0 वन भूमि) का श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल, रामनगर निवासी के पक्ष में लीज नवीनीकरण किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति (तहसील-रामनगर) की दिनांक 30:09:2022 को सम्पन्न बैठक ही कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- श्री धीरण सिंह गट्याल , जिलाधिकारी, नैनीताल, अध्यक्ष।
- श्री कुन्द्रन कुमार प्रभागीय वनाधिकारी, समन्तार सदस्य। प्रमागीय वनाधिकारी स्वाप्त वन प्रभाग रामनगर रामनगर वन प्रभाग रामनगर रामनग
- श्रीमें अक्ट्रम क्षेत्र पंचायत सदस्य। / नगर पालिका अध्यक्ष अध्यक्ष

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त लीज नवीनीकरण हेतु 0.025 है0 वन भूमि श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द धिल्डियाल, रामनगर के पक्ष में लीज नवीनीकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गय। ग्राम सभा के

अन्तर्गत वनाधिकारी का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड, रामनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत रामनगर वन प्रभाग में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल, रामनगर के लीज नवीनीकरण हेतु 0.025 है0 आरक्षित वन क्षेत्र के वन भूमि लीज हस्तान्तरण हेतु वन भूमि श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल, रामनगर निवासी को राष्ट्रहित व जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमित प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्तरीय जन अधिकार समिति तहसील–रामनगर, नेनीताल।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी जनपद नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिलाधिकारी जिला स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील–रामनगर, नैनीताल।

परियोजना का नाम— नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लाट—8 एवं 9 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल के नाम लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

Annexure-II

Form-II

(For projects other then liner projects)
Government of Uttarakhand
fice of the District collector of Nainital(U.K)

	Office of the District collector of Nainital(U.K)	
No		Date

TO WHOSEOEVER IT MAY CONCERN

In complacence of the ministry of Environment and forest(MoEF), Government of India's letter No. 119/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the processes of settlement of rights under the scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers(Recognition of Forest right) act 2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes it is certified that 0.025 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल, रामनगर in Nainital District falls within jurisdiction of Ramnagar tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.025 hectares forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the forest rights committee(s), Nagar Nigam(s), Sub-Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure-23 to 23.3
- (b) The proposal for diversion (with full details of the projects and its implications in vernacular/local language) have been placed before each concerned Ward of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each concerned ward(s), has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out, and that they have give their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose of and details of proposed diversion. A copy of certificated issued by the Nagar Nigam(s) is enclosed as annexure-23 to 23.3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% members of Ward present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Ward meeting have giving their consent to it:
- (f) The right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) of the FRA;

Encl: As above

(Full name and office of the district Collector)

परियोजना का नाम— नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लाट—8 एवं 9 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल के नाम लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

Office of the deputy commissioner

District-Nainital(U.K.)

Proceeding of the meeting of district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers recognition of right act(FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district constituted under FRA,
2006 was held under
Chairmanship of Mr. Dheeraj. Singh 39.1099. IAS Deputy commissioner Nainital on dated
dated at Nainital in which application calming
right in 0.025 Hectares for श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल,
रामनगर निवासी के Agro Service & Filing Center(Petrol Pump) के लीज नवीनीकरण
Ramnagar Forest land under FRA, 2006, of the following applicants duly processed and recommended by the sub division level committee of

Date

Deputy Commissioner cum Chairman Dispital Evel Committee

नैनीताल

प्रपत्र-29

परियोजना का नाम:— जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड़ के किनारे प्लाट सं० 8 एवं 9 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को लीज पर दी गयी वन भूमि का नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

मानक शर्त

मानक शर्तो का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

- वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक रिथित में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वन पूर्व की भांति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
- 2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
- 3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
- 4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
- 5. प्रयोक्ता एजेन्सी उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षिति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
- 6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख-रखाव किया जायेगा।
- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जान सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछंन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
- 9. सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारां वन विभाग की नर्सरियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
- 11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० को सम्बोधित

पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गो का सुदृढ़ीकरण / चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

- 12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
- वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
- 14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषद्व है, इसी प्रकार बाज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
- 15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होत है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त रथल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
- 16. यदि नहर आदि निर्माण में भू—संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटटीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
- 17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्ते लगाई जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 18. वन भूमि वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्ते प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

For Agro Services & Pilling Certific है। — ब्रिशिटी पूर्व प्रयोक्ता एजेन्सी

नोट:- उक्त प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निर्गत किया जायेगा।

9 Pages

REVISED DRAFT

SCHEME

FOR

REHABILITATION

OF

SICK ACRO SERVICE CENTRES

	INDEX		Page Number
1.	Name of the Scheme	1	•
2.	Objective of the Scheme	2	4
3.	Eligibility Criteria	· ·	
4.	Components of the Scheme		22.6
	4.1 Reliefs and concessio	Page .	s
	banks/financial insti tutions to non viable Agro Service Centres which can not be		
	4.2 Reliefs and concession	ns :	
	by banks/financial institutions to potentially viable Acre		*2 *
10	Service Centres which can be rehabilitated.	1941	
	4.3 Other assistance to be extended to identified	•	6
	sick agro service con	tres	
5.	Implementation procedure	:	7

:- 1 -:

- Name of the Scheme
- Renabilitation of Sick Agro Service Centres (ASCs).
- 2. Objective of the Scheme :

The Scheme aims at consbilitation/
revival of the identified nick
Agro Service Centres set up under
the Centrally Sponso of Agro
Service Centres Schem, which was
operated through Agra industries
Corporations at the Boats Level
during the period 1971 to 1979
and later transferred to State
sector on 1.4.79 as pur decision
of National Development Council.

- 3. Eligibility Criteria 3.1: The Scheme will be confined to ASCs which were opened under the Centrally Sponsored Agro Service Centres Scheme launched in Dec., 1971 and later transferred to State Sector on 1.4.79 as perdecision of National Development Council.
 - 3.2 ASCs whose owners have not migrated out of the country.
 - 3.3 The agro-entrepreneurs who have taken up alternative employment, may also be considered for assistance, provided the units are found viable and the entrepreneurs agree to run the units themselve.
 - 3.4 The agro-entrepreneurs who have sold their assests will not be considered eligible for any assistance under the scheme.
 - 3.5 Agro-Entrepreneurs who have been wilfuldefaulters in the past will be the sligible for in assistance under the Schöme.
- Components of the School
- Under the Scheme, the agro-entrepreneurs will be provided reliefs and concessions on the following pattern.

v be taken 4 -ct of nongro Service
which
cs pa rehabili-

cark will occurred each case on a cerits and the normal steps for the recovery of bank dues will be initiated.

...21-

:- 2 -:

- 4.2 Reliefs and concessions which can be extended by banks/financial Institutions to retentique viable Agro Service Leatres which can be rehabilitated.
- 6.2.1 Peral Interest and funder interest
- desires have then charged such charges should be warved from the accounting year of the unit in which it *tented incurring cash I uses continuously. After this is dead, the armaid interest on term loans and cash credit during this period chould be acgregated from the total liability and funded. We interest may be charged on funded interest and repayment of such funded interest the repayment of such funded in a pears from the date of some security for account of implementation of the rehabilitation programe.

: If ponel rates of interest or

- 4.2.2 <u>Unedflusted Interest</u>
- : Unadjusted interest dues such os interest charsed between the date upto which rehabilitation package was prepared and the date from which actually implemented, may also be funded on the same terms at A.2.1 above.

4.2.3 Term leans

The rate of interest on tem loans may be reload, where considered accessary, by not more than three percent, the reduced rates in he case being less than the rate of interest charged under Integrated Pural Levelopment Programme (I-II).

4.2.4 Principal dues

After the unsignited interest portion of the use credit account is account as indicated as indicated the control of the contro

treated as irregular to the extent it executarization power. This ensured may be funded as working Societal Term Loan (WCTL) with a recey cut schedule not exceeding 5 years. Interest may be charged on this funded item at 10 percent per annum.

....5 <u>Cash Losses</u>

Cash losses are likely to be incurred in the initial stages of the rebabilitation programme till the unit reaches the break even level. Such cash losses excluding interest as may be incurred during the nursics programme may also be financed by the bank or the financial institution, if only one of them is the financiar. But if both are involved in the rebabilitation package, the financial institution cash losses Interest may be charged on the funded amount at the rates prescribed by IDBI under its scheme for rehabilitation assistance.

4.2.6 Working Capital

Need-based working capital should be sanctioned to the unit to enable it to carry on its operations, with interest at the minimum of the band of the prescribed interest rates during the rehabilitation period. Where the minimum of the band exceeds 15% (as for instance in the case of working capital assistance in excess of 8.25 lakhs, where it is 16.5%), the rate may be fixed at 15% per shoom.

4.2.7 Contingnov loan

For meeting escalations is comital expenditure to be incurred under the valuable traction programme, analyticancial Institutions may provide, where considered necessary, appropriate additional financial aspistance upto 15% of the estimated cost of rehabilitation by way of centigoncy lean assistance. Interest on this contigoncy assistance may be accorded at the concessional rate of the capital assistance.

4.2.8. Fugis for start

There may be a need to provide the unit unit properties of the funds for start-up co-chaes(trefuling payment or pressure creaters) or margin.

money for working orbital in the from a long-term long. Where a financial Institution is not involved, which may provide the loan for start-up expenses, while sargin money perfectance should be provide by Spate Government where it is operation a narrie start size. The term loan from lands like corry the same rates, as the existing term loans.

4.2.9 Guarantee fee

The guarantee for payable to Deposit Insurance and Gredit Surantee Gorpo-ration (DICCC) in respect of sick agre-service Centres units should be borne by the Banks/fishedish Institutions during the period of schapbilitation programme.

he extended to line in its old control of the second secon

w. 3. 1 Act magadations

State Uneraments will consider requirements of agre-intropreneurs on case to case basis, for allotment of suitable accommodation at nominal charge, if such a acasare has been recovered at by District Level Approximal Committee in the mehabilitation proposal of the sick agre service centre concerned.

7.3.2 Acc olture inputs

State Severaments and State AgroIndustries Corporations will accord
priority to the identified accord
agro service contres in matters of
giving agencies for input distribution, if such measure, has been recommended by the District Level
Appraisal Consisted in the menabilitation proposal of the agro service
centre concernel. States may consider adopting the Meharashtra pattern
in this regard. States may also
designate ABCs as approved outlets
for items in which comperative do
not deal in.

contd.5/-

rending claims of Interest subsidy

State Governments will be requested to process and make payment of pending interest subsidy claims, if any, of the agree enterpreneurs in accordance with the provisions of the agree service centres scheme transferred to States w.e.f. 1.4.79 in persuance to the decision of National Development Council.

Implementation .

1.2

The State AICs will be responsible for identification of eligible agroservice centres as per the aligibility criterial as in para 3 above. After the approval of the rehabilitation scheme by Supreme Court of India, the Agro-Entrepreneurs shall submit their applications alongwith rehabilitation proposal for consideration to the concern State Agro Industries Corporation within 90days of the order of the Supreme Court. The State Agro Industries Corporation within 90days ration will scrutinise the modifications received, within a pariod of 30 days from the date of its receipt and forward the same to the District Level Appraisal Committee(DLAC).

Rehabilitation proposal as in 5.1 above will be considered by the District Level Appraisal Commitice constituted as under

- (i) Distt. Collector -Chairman. (ii) One representative of Lead Bank. -Member
- (111) One represents Himber tive of Graditor Bank.
- (iv) Representative algebra of the Managing Secretory. Director of State Agro Industries Corporations.

The pro, sals the rehabilitation considers and simble will be recommend to by the DIAS to the emperhed truck for anti-consels

. 3

for rehabilitation not considered viable shall be rejected by the DLAG and the dues of the Bank/Financial Initi totion shall be recovered in such instalments as may be decided by the Fank/Financial lostitution on merits of each case.

The DEAC will also review the progress of each case on quarterly basis and submit the report to the Chairman of the Task Force.

For monitoring and periodical review of the progress and removal of constraints etc, a Task Force will be set up in each of the concerned State as under:-

- Secretary(Agri.) : Chairman
- One Representative : Member i1)
- of lending Bank On representative : Member of Auserve Bank of
- iv) One representative : Member of MaBDE
- One representative : Nomber of small Injustries Service Institute
- Two pepresentatives : Member of agre-ent. care. . nears.
- Monaging Director of :Member Etate Agro Industri-Scoretary es Corporation.

The representative of the agro-entrepreneurs will be acheeved in a meeting of new universemeurs, limin-ced under the Country St. 2011. Scheme of Agra curying ventres, seld by the State Agre Infustries Corperation under the Chairmanship of the Managing Director of the Corporation.

: -7 -:

The Task Force would periodically review and monitor the progress of the scheme and submit a quarterly report to the Government of India in the Ministry of Agriculture.

5.4 A National Level Committee to review and monitor the progress of rehabilitation scheme shall be constituted. This Committee shall consist of representatives of all concerned Ministries of Government of India, RBI, IBA, all concerned Commercial Banks. State Governments, SAICs and two representatives of National Federation of Agro Entrepreneurs.

The delay in implementation of the Scheme will be reviewed by District Level Committee periodically. One of the factors contributing to such delays could be time taken for obtaining clearance to the reliefs and concessions. The banks and the financial institutions will delegate sufficient powers to senior officers at various levels such as district; divisional, regional, ton the banks or the financial institution the banks or the financial institutions commitment to its share in the rehabilitation proposal drawn up in conformity with the Scheme approved by the Supreme Court of India and the issued by the Reserve Bank of India from time to time.

(a) whether it is a rect that a large number of agro-service centres in the country are than badishabrand the thore than 500 spcAk centres have been closed down will manuage on the verge of bankruptry; and (b) if so, drails therepresentations the reasons therefor and the step taken by Government Idemproved he situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE

(SHRI R.V. SYAMINATHAN)

- (a) As per the survey conducted by the Central Govt. Training Centres at Sudni and Hissar in the year 1977 covering the States of Assam, Bihas Haryana, J & K. Punjab, Rajasthan, Uttar Pracesa, Jest Bengal, Machya Pracesa, Jamil Nadu, Kerala and Karnataka, 195% of the agro-service centres were operating on profit and 25% alone as not doing well. Subsequent survey carried out by the Tractor Training Centre. Hissar in 1978 revealed that 67.5 % agro-service centres on an average were running on profit whereas 19.8% were working on loss. The remaining 12.7% did not report their financial benefits. As on 21st March, 1981 506 out of 3206 centres (i.e. 15.8%) have closed down. The Government, however, have no information to lead to the conclusion that manyof these centres are on the verge of bankruptcy.
 - (b) Details: State-wise position of break-up of 508 centres reported to have been closed is given in annexure.

Beasons for the failure :

As per the survey carried out in 1977 the reasons for failure of closing down of some of these centres was low work turn over because of their being engaged only in the activity of custom hiring in tractors accompanied by competition from tractor owning farmers, escalation in the operational cost of these machines due to hike in the prices of diesel and other lubricants and other raw materials, high cost of these machines, escalation in the cost of repair and maintenance, non-maintenance of proper records about their working, lack of requisite efforts on the part of entrepreneurs to improve their performance etc.

Steps taken by the Government to improve the situation :-

The steps taken by the Government to improve performance and financial viability of these centres are details below :-

- These agro-service centres were given priority allotment of 5) isactors both indigenous and imported.
- The RBI on our initiative have extended the benefits of concessional rate of interest to those agro- service centres on par with small scale industries and credit guarantee cover.

7 1.1 2.

Lii) At various stages seminars and are in the performance of these centres where it is a seminar and the performance of these centres where it is a seminar and the performance of the The Ministry of Finance advised to a state of the control of the c

v) On transfer of the scheme to the 5th the States were directed to honour the community of transfer and to extend such other necess of reduired for running them on viable basis.

Minister of State for Agriculture addressel ii. Ministers concerned to take such steps as would be strengthaning these centres, including expend tions per the claims of these agro-service ontropressure and

Minister(A, RDS CS) once again addressed the Cristian to of the States to take action to disburse the introduction the this contract the introduction to disburse the introduction to the state of the introduction to the intr agricultural inputs in the areas where these victure to the through them to help them in getting quater the transfer of the through them to help them in getting quater the transfer of the tr in the various schemes implemented by the State Growthing their various programmes including programmes of and received and command area development. Simultaneously the additional file Union Finance Minister of instruct the Comparts de as a compart interest charges on loans advanced to these centers and the street of the payment of principle amount. Union Minister of Patrologue, Chemicals and Pertilizers was also codressed by his so consider the case of these centres for allotment of a derent in a men Spatrol and petro-based lubricants.

Note: - AT THE SUPREME COURT : The Agricultury is in the Parliament, but not in the Sunrage (hold on say that the Government may not submit a report making that our case may be posted for arguments was the letest counter by SBI in Maharashtra With Marinen formidable one against us. Sri Marinen has to tile such counters even in provious which has a standard asked for Petitioner-wise/ Writ-wise/ Standard asked So please send your latest full information